

राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये,राजस्थान जयपुर।


क्रमांक – ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/वी-1003/19/

दिनांक –

आदेश

श्री प्रदीप शर्मा नर्स-2, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अलवर को दिनांक 20 04 2019 से 30 04 2019 तक कुल 11 दिवस विदेश भ्रमण (मलेशिया) जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अध्यक्षीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है.-

- 1 कार्मिक विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से वाछित अवधि का अवकाश स्वीकृत करवाकर प्रस्थान करेगे तथा स्वीकृत अवकाश मे किसी प्रकार की वृद्धि नही की जावेगी।
- 2 विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नही किया जावेगा।
- 3 अवकाश समाप्ति के पश्चात अपनी ड्यूटी पर अविलम्ब उपस्थित होंगे।
- 4 विदेश मे किसी प्रकार का रोजगार एव नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
- 5 विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एव रवैच्छिक सेवानिवृति स्वीकार नही की जावेगी।
- 6 विदेश मे किसी भी राष्ट्रविरोधी/अवैधानिक गतिविधियो मे सम्मिलित नही होंगे।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज0 जयपुर

क्रमांक – ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/वी-1003/19/433

दिनांक – 22-04-19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

- 1 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अलवर।
- 2 राजकीय राजीव गाँधी सामान्य चिकित्सालय अलवर।
- 3 संबधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 4 प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करावें।
- 5 आदेश/रक्षित पत्रावली।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज0 जयपुर